न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 51 / 2019

उनवान

1. मीना संगतानी पत्नी अशोक संगतानी जाति सिंधी निवासी रामदयाल मौहल्ला, नसीराबाद,
2. सुरता पत्नी नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद
3. प्रेम पत्नी मदन जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद,

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. श्योदान
2. किशन
3. कमला पिता गोपी जाति जाट निवासी ग्राम देराठू हाल निवासी ग्राम शोकलिया सरवाड
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
4 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

: निर्णय :– दिनांक :– 22.10.19

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3142 रकबा 0.06, 3215 रकबा 0.57 व 3216 रकबा 0.58 की आराजी के तत्कालीन खातेदार गोपी पुत्र बख्तावर के वारिसान श्योदान, किशन, कमला पिता गोपी जाति जाट ने उक्त आराजी वादिया संख्या 1 को बैचान कर दी थी। किन्तु राजस्व अभिलेख में विरासत नही खुलने के कारण भूमि का वादिया संख्या 1 के नाम नामान्तकरण नही हो सका। वादिया संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में से हाल खसरा नम्बर 3215 रकबा 0.57 व 3216 रकबा 0.58 का आधे हिस्से का बैचान वादी संख्या 2 व 3 को कर दिया। तब से वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु राजस्व अधिकारियों ने बैनामे अनुसार उक्त

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आराजी पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही किया है। अतः विक्रय पत्र अनुसार वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोंटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जरियें अधिवक्ता स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया।

प्रकरण में वाद के तथ्यों का खण्डन नही होने से तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी मीना का शपथ पत्र पेश किया एवं राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये।

राज0 पैरोकार व अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3142 रकबा 0.06, 3215 रकबा 0.57 व 3216 रकबा 0.58 की आराजी के तत्कालीन खातेदार गोपी पुत्र बख्तावर के वारिसान श्योदान, किशन,. कमला पिता गोपी जाति जाट ने वादिया संख्या 1 को बैचान कर दी थी। किन्तु राजस्व अभिलेख में विरासत नही खुलने के कारण भूमि का वादिया संख्या के नाम नामान्तकरण नही हो सका। वादिया संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में से हाल खसरा नम्बर 3215 रकबा 0.57 व 3216 रकबा 0.58 का आधे हिस्से का बैचान वादी संख्या 2 व 3 को कर दिया। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में गोपी पुत्र बख्तावर के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम पंचायत शोकलिया के शजरा प्रमाण पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गोपी के विधिक वारिस है। उनके द्वारा जरियें पावर अटोर्नी हाल्डर उक्त आराजी पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार वादी संख्या 1 को बैचान कर दी थी। एवं वादी संख्या 1 ने उक्त आराजी में से हाल खसरा नम्बर 3215 रकबा 0.57 व 3216 रकबा 0.58 का आधे हिस्से का बैचान वादी संख्या 2 व 3 को कर दिया। उक्त दोनो विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त आराजी का बैचान किये जाने से राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 63 के अनुसार उनके खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने भी वाद के तथ्यों को लिखित में स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से वादीगण के कथनो की ताईद होती है। अतः आराजी मुतनाजा वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3142 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

---3

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

3215 रकबा 0.57 व 3216 रकबा 0.58 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 3215 रकबा 0.57 व 3216 रकबा 0.58 के आधे हिस्से का खातेदर वादी संख्या 2 व 3 को तथा हाल खसरा नम्बर 3215 रकबा 0.57 व 3216 रकबा 0.58 के आधे हिस्से व खसरा नम्बर 3142 रकबा 0.06 पूर्ण हिस्से का खातेदार वादी संख्या 1 को घोषित किया जाता है। तहसीलदोर नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner